"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 मई 2018—ज्येष्ठ 4, शक 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, राजेश कुमार सिसोदिया आत्मज स्व. देवेन्द्र कुमार सिसोदिया, उम्र 51 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 3 बी., सड़क नं.-6, सेक्टर-7, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम राजेश कुमार दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैं अपने नाम के साथ "सिसोदिया" उपनाम जोड़कर पूर्ण नाम राजेश कुमार सिसोदिया रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे राजेश कुमार सिसोदिया आ. स्व. देवेन्द्र कुमार सिसोदिया के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
राजेश कुमार	राजेश कुमार सिसोदिया
पिता-स्व. देवेन्द्र कुमार सिसोदिया	पिता-स्व. देवेन्द्र कुमार सिसोदिया
निवासी-क्वा. नं. 3 बी.,	निवासी-क्वा. नं. 3 बी.,
सड़क नं.-6, सेक्टर-7, भिलाई,	सड़क नं.-6, सेक्टर-7, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुशील कुमार चन्द्राकर आत्मज स्व. कोमल सिंह, उम्र 52 वर्ष, निवासी-वार्ड नं.-40, सेठ रतनचंद सुराना कालेज, केलाबाड़ी दुर्ग (छ. ग.) स्थाई पता-ग्राम पाऊवारा, पोस्ट-पौहा, तहसील-गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे आधार-कार्ड, पेनकार्ड मेरी जमीन के अभिलेखों/दस्तावेजों तथा अन्य में मेरा नाम सुशील कुमार चन्द्राकर आ. स्व. कोमल सिंह दर्ज है किन्तु मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, सर्विस रिकार्डों व वेतन खाता में मेरा नाम शिशुपाल सिंह आत्मज कोमल सिंह दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम सुशील कुमार चन्द्राकर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे सुशील कुमार चन्द्राकर आ. स्व. कोमल सिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
शिशुपाल सिंह पिता-कोमल सिंह निवासी-वार्ड नं.-40, सेठ रतनचंद सुराना कालेज, केलाबाड़ी दुर्ग (छ. ग.) स्थाई पता-ग्राम पाऊवारा, पोस्ट-पौहा, तहसील-गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ. ग.)	सुशील कुमार चन्द्राकर पिता-स्व. कोमल सिंह निवासी-वार्ड नं.-40, सेठ रतनचंद सुराना कालेज, केलाबाड़ी दुर्ग (छ. ग.) स्थाई पता-ग्राम पाऊवारा, पोस्ट-पौहा, तहसील-गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, चित्रांक चन्द्राकर आत्मज श्री महेन्द्र कुमार चन्द्राकर, उम्र 19 वर्ष, जाति कुर्मी, निवासी-बोरसी कालोनी, एच. आई. जी. 1/156, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम चित्रांक भारद्वाज आ. श्री महेन्द्र कुमार चन्द्राकर दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम के साथ "भारद्वाज " को हटाकर सही उपनाम "चन्द्राकर" जोड़कर पूर्ण व सही नाम चित्रांक चन्द्राकर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे चित्रांक चन्द्राकर आत्मज श्री महेन्द्र कुमार चन्द्राकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
चित्रांक भारद्वाज पिता-श्री महेन्द्र कुमार चन्द्राकर निवासी-बोरसी कालोनी, एच. आई. जी. 1/156, दुर्ग, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	चित्रांक चन्द्राकर पिता-श्री महेन्द्र कुमार चन्द्राकर निवासी-बोरसी कालोनी, एच. आई. जी. 1/156, दुर्ग, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती सांत्वना पाल ध. प. श्री दीपांकर पाल उम्र 35 वर्ष, जाति-कायस्थ, निवासी-रेल्वे क्वा. नं. 633/बी, जोन-01, रेल्वे स्कूल के सामने, बीएमवाय चरोदा, थाना पुरानी भिलाई तहसील पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा विवाह आमिष दास के साथ हुआ, किन्तु उनका निधन 29-11-2010 को हो गया है, उनके निधन के उपरांत मैंने दिनांक 02-02-2017 को श्री दीपांकर पाल के साथ दूसरा विवाह कर ली हूं. विवाह पश्चात मैं अपने पूर्व नाम सांत्वना दास को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती सांत्वना पाल रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती सांत्वना पाल ध. प. श्री दीपांकर पाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
श्रीमती सांत्वना दास पति-स्व. आमिष दास निवासी-रेल्वे क्वा. नं.- 633/बी, जोन-01, रेल्वे स्कूल के सामने, बीएमवाय चरोदा, थाना पुरानी भिलाई, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती सांत्वना पाल पति-श्री दीपांकर पाल निवासी-रेल्वे क्वा. नं.- 633/बी, जोन-01, रेल्वे स्कूल के सामने, बीएमवाय चरोदा, थाना पुरानी भिलाई, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती ए. निर्मला ध. प. स्व. प्रकाश चंद राव, उम्र 49 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-5-ए. टाईप-2 डी, हॉस्पिटल सेक्टर, दल्लीराजहरा, जिला बालोद (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत थे. दिनांक 30-01-2018 को उनका देहान्त हो गया है. मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में तथा मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम ए. निर्मला दर्ज है जो कि सही है, किन्तु मेरे पुत्र के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम निर्मला राव दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने पुत्र के समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में मेरा सही व पूर्ण नाम ए. निर्मला दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती ए. निर्मला ध. प. स्व. प्रकाश चंद राव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
निर्मला राव पति-स्व. प्रकाश चंद राव निवासी-क्वा. नं.-5-ए. टाईप-2 डी, हॉस्पिटल सेक्टर, दल्लीराजहरा, जिला-बालोद (छ. ग.)	ए. निर्मला पति-स्व. प्रकाश चंद राव निवासी-क्वा. नं.-5-ए. टाईप-2 डी, हॉस्पिटल सेक्टर, दल्लीराजहरा, जिला-बालोद (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2018

क्रमांक/परिसमापन/2018/419.—वस्तुत: भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा एवं सुविधा सहकारी समिति मर्यादित बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 07 दिनांक 26-02-1998 के वार्षिक आमसभा दिनांक 12-09-2015 में संचालक मंडल के उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचन कार्य में भाग नहीं लेने के प्रस्ताव, संस्था के अकार्यशील होने एवं संस्था का अंकेक्षण नहीं कराने के कारण संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा परिसमापन लाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने से इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2018/50 बिलासपुर दिनांक 12-01-2018 के माध्यम से छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था किन्तु संस्था द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया.

अतएव प्राधिकृत अधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए मैं के. एल. ढारगावे, संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थायें, बिलासपुर संभाग बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/ 15-43/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छ. ग. को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वेष्ठित हैं का प्रयोग करते हुये भूतपूर्व सैनिक सुरक्षा एवं सुविधा सहकारी समिति मर्यादित बिलासपुर पंजीयन क्रमांक 07 दिनांक 26-02-1998 को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री ए. के. तारम अंकेक्षण अधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

के. एल. ढारगावे
संयुक्त पंजीयक .

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.